[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(ii) ]

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 8th November, 1978

## NOTIFICATION

S.O. 3406 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers of the State Government under the proviso to sub-section (2) of section 1 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, in relation to the Union territory of Arunachal Pradesh or the Union territory of Mizoram, be exercised also by the Administrator of that Union territory.

[ No. U-11030/1/78-UTL ]

( H.C. BAKHSHI )
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Estate,
NEW DELHI.

( भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ )

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर, 1978

## अधिसूचना

का0 आ0 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, निदेश देते हैं कि, उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र या मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

( सं0 यू-11030/1/78-यू0 टी0 एल0 )

हरीश चन्द्र बख्शी

( हरीश चन्द्र बख्शी )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली ।